न्यायालय–विशेष न्यायाधीश, विद्युत अधिनियम बीना, जिला सागर (म0प्र0)

{ समक्ष– मनीष लोवंशी }

विशेष प्रकरण क्रमांक 132/2022

म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, बीना
––––– परिवादी/अभियोगी

–:।।विरुद्ध।।:–

सुमेर सिंह कुर्मी
––––अभियुक्त

–::।। आदेश दिनांक 13.05.2023 ।।::–

प्रकरण नेशनल लोक अदालत में पेश।

परिवादी द्वारा श्री हरिशंकर विश्वकर्मा अधि. उप.।

अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

प्रकरण अभियुक्त की उपस्थिति हेतु नियत है, जिसमें लोक अदालत का नोटिस जारी हुआ था, उसके तारतम्य में अभियुक्त उपस्थित है।

इसी स्तर पर परिवादी विद्युत वितरण कंपनी की ओर से एक आवेदन विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152 के अंतर्गत समझौता आवेदन, शमन पत्र (कम्पाउंडिंग लेटर) के साथ प्रस्तुत किया और निवेदन किया है कि अभियुक्त द्वारा प्रकरण में आर्थिक क्षति राशि जमा कर दी है। अतः प्रकरण राजीनामा के आधार पर निरस्त किया जाये। उक्त शमन पत्र पर अभियंता अधिकारी के हस्ताक्षर है और उनके अधिवक्ता के भी हस्ताक्षर है।

आवेदन पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन करे तो अवलोकन से ज्ञात है कि अभियुक्त पर विद्युत अधिनियम की धारा 135 के आरोप है। उक्त आरोप विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152 के अंतर्गत विद्युत चोरी का अपराध के अंतर्गत शमन योग्य है।

समझौता आवेदन, शमन पत्र (कम्पाउंडिंग लेटर) धारा 152 विद्युत अधिनियम 2003 पर परिवादी अधिवक्ता के हस्ताक्षर है तथा शमन पत्र पर कार्यपालन अभियंता के हस्ताक्षर है, जो उक्त अधिनियम की धारा 152 के अंतर्गत नियमित प्राधिकृत अधिकारी है, जो राजीनामा करने के लिये सक्षम पक्षकार है।

अतः उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत समझौता आवेदन एवं शमन पत्र विधि अनुरूप होने से स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के आरोप से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त को उन्मोचित किया गया।

तदानुसार नेशनल लोक अदलात में प्रकरण समाप्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण नियत अवधि में अभिलेखागार भेजा जाये।

–सही–

MANISH KUMAR LOWANSHI
Digitally signed by MANISH KUMAR LOWANSHI
Date: 2023.05.13 17:41:16 +05'30'

(मनीष लोवंशी)
पीठासीन अधिकारी
खण्डपीठ क्र. 41 बीना
जिला सागर म.प्र.